

य भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर (राज0)

या :- धारा एल.आर.एक्ट


हुकम या कार्यवाही

पत्रावली नियत पेशी पर आज पेश हुई । उभयपक्ष के अभिभाषकगण उपस्थित । प्रकरण वर्तमान में बहस में विचाराधीन है। तहत अदालत की पत्रावली प्राप्त हो चुकी है । राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग (यूप-6) के नोटिफिकेशन संख्या 1 (17) नियम -6/2019/112 दिनांक 17.10.2019 के अनुसार भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 एवं 76 के तहत न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के यहाँ पेश प्रथम एवं द्वितीय अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार, अब माननीय न्यायालय सम्भागीय आयुक्त को निर्धारित किया गया है ।

अतः इस न्यायालय का धारा 75 व 76 एल. आर. एक्ट के तहत पेश अपीलों का क्षेत्राधिकार समाप्त होने से यह पत्रावली मय तहत पत्रावली माननीय सम्भागीय आयुक्त महोदय जयपुर के पत्रांक प-14 रीडर प्रथम /संआज / 2995-99 दिनांक 25.10. 2019 की पालना में माननीय न्यायालय सम्भागीय आयुक्त जयपुर को भिजवाई जावे ।

उभयपक्षों को सूचित किया जाता है कि वे आगामी नियत पेशी दिनांक 06.02.2020 को न्यायालय सम्भागीय आयुक्त महोदय जयपुर में उपस्थित हों ।

पत्रावली इस न्यायालय से फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।


भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर